

RR

केकड़ी

5/9/15/225

लुकरेव 2/5 व-11

तारीख पेशी	2015/00174 बनाम हुकम या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री R.P. शर्मा श्री (कडा) सिंह 1/15	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26.9.18	<p>यह पत्रावली वास्ते आदेश अपील हेतु पेश की गई। प्रार्थना पत्र व अपील में दिनांक 14.09.2018 को अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।</p> <p>अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि जमाबंदी सम्वत 2041 के अनुसार खसरा 292 रकबा 5बीघा 3 बिस्वा 10 बिस्वांसी, खसरा नम्बर 291 रकबा 07 बिस्वा जिनके नये वर्तमान खसरा नम्बर 693 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 722 रकबा 0.44 हेक्टर, खसरा नम्बर 723 रकबा 0.06 है. बने हैं। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की खातेदार की आराजी हैं। पुराने खसरा नम्बर से नये खसरा नम्बर बनाये जाने पर राजस्व अधिकारियों की गलती से वर्तमान में नक्शा ट्रेस में प्रार्थी की आराजीयात के तीन टुकड़े कर दिये गये हैं जो 722, 693, 724 बने हैं। नक्शा ट्रेस में प्रार्थी की आराजियात का कब्जा कम करके 724 बनाये हैं जो विधि सम्मत नहीं है। जिसके आधार पर रेस्पोंडेंट संख्या 01 से 05 नाजायज रूप से प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा हैं। इसलिए वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई एवं वाद स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 724 की गलत तरमीम को दुरुस्त किया जावें। वाद पत्र के कथनो अनुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम भी प्रस्तुत कि जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 28.02.2012 को निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.02.2012 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की हैं।</p> <p>अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जाकाश्त चला आ रहा हैं इसके बावजूद मौका रिपोर्ट को नजरदांज कर अपीलांट के विरुद्ध निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि कारित की है। उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित आदेश इस तरह पारित किया गया है जैसे मूल वाद का ही निस्तारण कर दिया गया हो जबकि यह न्याय का सुस्थापित सिद्धान्त है कि अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण में इस तरह के आदेश पारित नहीं किया जा सकता हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के आदेश दिनांक 28.02.2012 को निरस्त फरमाया जावें।</p> <p>अभिभाषक रेस्पोंडेंट ने दौराने जवाब बहस में निवेदन किया कि खसरा नम्बर 724, 725, 728, 752 स्थित ग्राम आमली की आराजिया रेस्पोंडेंटस की खातेदारी की आराजी हैं जिस पर रेस्पोंडेंटस का कब्जा काश्त हैं। अपीलांट रेस्पोंडेंटस को नाजायज परेशान व हैरान करने के लिए वाद पत्र व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। विवादित आराजी खसरा नम्बर 724 पर अपीलांट का ना तो कब्जा काश्त है और ना उसके खातेदार में अंकन हैं। न्यायालय हाजा से</p>	

 राजस्व अपील अधिकारी
 अजमेर

RR 519/15/225

सुखदेव v/s व-ना

अपील संख्या 519/2015 (2015/00174)/225
सुखदेव बनाम वगैरह

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

तारीख
पेशी

2015/00174

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर 5A-6

श्री R.P. शर्मा

श्री सुखदेव वगैरह

अनुरोध

अनुरोध है कि अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज की जावें।

अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों की प्रति व प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन से जाहिर है कि विवादित आराजी वर्तमान जमाबंदी में रेस्पोंडेन्टस के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। रिकार्ड खाली रहने का जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रकरण के तथ्यों, प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अपने स्वविवेक के आधार पर जा आदेश पारित किये हैं, उन्हें किसी भी दृष्टिकोण से मनमाना आदेश नहीं का जा सकता इसलिए अपील में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। अतः अपील अपीलांत खारिज की जाती हैं। पत्रावली फौसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर